कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा),उत्तराखण्ड,देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

सं0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-113/2016-17/

दिनांक : /06/2017

सेवा में,

मुख्य नगर अधिकारी,

नगर निगम - हलद्वानी,

जनपद- नैनीताल

विषय : नगर निगम - हलद्वानी, का वर्ष 2015-16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग -4 (ब)-1 में 01 प्रस्तर तथा भाग-4 (ब)-2 में 6 प्रस्तर एवं STAN 01 प्रस्तर हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-1 के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0: स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-113/2016-17/ दिनांक : /06/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, शहरी विकास उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 राजपुर रोड़ निकट साई इंस्टीट्यूट, देहरादून।

3- निदेशालय, लेखापरीक्षा (आडिट), द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2016-17 के लिये नगर निगम - हलद्वानी, पर प्रारुप निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत शहरी निकाय अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

श्री के.के. मिश्र - मुख्य नगर अधिकारी

-

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम

श्री सतेन्द्र कुमार, स.ले.प.अ.
श्री हिमांशु शर्मा, स.ले.प.अ
श्री मनोहर सिंह, ले.प.

(स) संप्रेक्षा तिथि 17.02.2017 से 10.03.2017 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि:- वित्तीय वर्ष 2015-16

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **नगर निगम, हल्द्वानी**

(अ) उपरोक्त यदि जिला पंचायत है तो क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या : -

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः

भौगोलिक क्षेत्र : 14.159 वर्ग किलोमीटर

जनसंख्या : 171351 (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार)

2. निर्वाचित सदस्यों की संख्याः 25
3. (अ) निगम द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 18

   (ब) उपसमितियों,स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या:- 01
4. बैठक :
5. कर्मचारियों की संख्या : -
6. पंचायतराज की सम्पतियां :- -
7. पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -
8. योजनाओं की संख्या :-
9. (अ) सामाजिक संरक्षा: -

   (ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

   (स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें: -

   (द) लाभार्थियों की संख्या:
10. वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि : विवरण सलंग्न
11. वर्ष के दौरान कुल व्यय :- ` 1901.22 लाख

    (अ) सामान्यः -

    (ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।
12. क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गयाः हाँ

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय **नगर निगम हलद्वानी** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2015-16 तक की सम्प्रेक्षा श्री सतेन्द्र कुमार, स.ले.प.अ., श्री हिमांशु शर्मा, स.ले.प.अ. तथा श्री मनोहर सिंह, ले.प. तथा श्री द्वारा दिनांक 17.02.2017 से 10.03.2017 कर सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर भाग-4 (ब)-1**	**प्रस्तर भाग-4(ब)II**
महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर/		
स्था.नि./ले.प.प्र.529/2014-18	1 से 7	1 से 4
स्था.नि./ले.प.प्र.-100/2015-16	1 से 3	1 से 7

प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग**
	प्रस्तरों की संख्या

(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर -

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची-

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख- -

भाग-4(ब)- 1

प्रस्तर-1:- ` 112.63 करोड़ धनराशि के भू-मूल्य वाली निगम की भूमि पर अवैध कब्जे का होना।

नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम, हल्द्वानी निगम स्वामित्व की संक्रमणीय अधिकारी वाली वर्ग 1(क) की म्यूनिसिपल बोर्ड़ पावर हाउस हल्द्वानी के नाम दर्ज भूमि के सम्बन्ध में प्रशासक, नगर निगम को टिप्पणी प्रस्तुत की गयी थी कि भूमि पर 30-32 वर्ष पूर्व के अन्तराल में कब्जों को हटाने के प्रयास किये गये थे, परन्तु अपरिहार्य कारणों से इस प्रकरण में कोई समाधान नहीं हो पाया है।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 128 में प्रावधान है कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए और उसके आधीन बने नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये निगम को अधिकार होगा कि वह ऐसी किसी भी सम्पत्ति को या उसमें किसी स्वत्व को जो इस अधिनियम के अधीन निगम द्वारा अर्जित किया गया हो या उसमें निहित हो बेंचे, किराये पर दे, पट्टे पर उठाये, उसको विनिमय करे, उसे बन्धक रखे, दान में दे या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण करे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सरकार द्वारा (निगम) को हस्तान्तरित की गयी कोई भी सम्पत्ति राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना हस्तांतरण के निबंधनों के विपरीत रीति, किसी रीति से न तो बेची जायेगी, न किराये पर दी जायेगी, अथवा न विनिमय की जायेगी, न बंधक रखी जायेगी, अथवा न अन्य किसी प्रकार से ही किसी को हस्तान्तरित की जायेगी।

स्थायी परिसम्पत्ति के सम्बन्ध में नगर-निगम द्वारा उसके सर्वेक्षण, रखरखाव, अभिलेखीकरण आदि न किये जाने से उपरोक्त भूमि पर अवैध हुये, जिसके सम्बन्ध मे इकाई के पास सर्वेक्षण प्रतिवेदन एवं उसका मूल्यांकन उपलब्ध नहीं था, जबकि इस सम्बन्ध में पूर्व लेखापरीक्षा में टिप्पणी की गयी थी।

इस प्रकार प्रशासनिक शिथिलता के कारण एवं परिसम्पत्ति के समुचित रख-रखाव व अभिलेखीकरण न किये जाने से निगम की भूमि अवैध कब्जे में है एवं वर्तमान सर्किल रेट के अनुसार उक्त भूमि का कुल भू-मूल्य ` 112.63 करोड़ हैं।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुये बताया गया कि स्थायी परिसम्पत्तियों का वार्षिक सर्वक्षण कार्य कराया जायेगा एवं उक्त भूमि से अवैध कब्जे को हटाने के लिए उत्तराखण्ड शासन में कार्यवाही गतिमान है।

तथ्य प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-4(ब)-II

प्रस्तर 1(अ):- ` 151.28 लाख की धनराशि से निर्मित होने वाले दो रैनबसेरों का निर्माण शासन के आदेशों के विपरीत तथा बिना किसी समझौता ज्ञापन के कराया जाना|

संयुक्त सचिव, भारत सरकार आवास एवं शहरी गरीबी उपशयन मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली के पत्रांक DO.No. N-14013/1(4)2013-USD दिनांक 03 अगस्त 2015 के अनुसार रैन बसेरे के निर्माण से पहले रैन बसेरे के रखरखाव एवं संचालन की समुचित व्यवस्था किया जाना आवश्यक है ताकि इस पर व्यय धनराशि व्यर्थ न हो|

कार्यालय की पत्रावलियों की जांच मे पाया गया कि वार्ड-4 के राजपुरा मे ₹ ` 151.28 लाख की धनराशि से दो रैन बसेरों का निर्माण कराया जा रहा है जिसके सापेक्ष ₹` 37.82 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है साथ ही ₹` 50 लाख की दूसरी किस्त अवमुक्त की जा चुकी है साथ ही उल्लेखनीय यह भी है की संबन्धित कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से कोई समझौता ज्ञापन कार्यालय के द्वारा नही किया गया है जिससे कार्यदायी संस्था किसी प्रकार से बाध्य नहीं है एवं समय तथा घटिया निर्माण हो जाने पर कोई वित्तीय तथा प्रशासनिक कार्यवाई किया जाना संभव नहीं होगा |

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि वर्तमान मे कोई कार्यवाई नहीं की गई है रैनबसेरा पूर्ण निर्माण उपरांत रखरखाव एवं संचालन हेतु बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया जाएगा एवं समझौता ज्ञापन के संबंध मे बोर्ड द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योकि संबन्धित आदेशों/शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करवाना संबन्धित अधिकारियों की ज़िम्मेदारी है जोकि नहीं किए जा रहे है।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदित किया जा रहा है ।

STAN

प्रस्तर 1:- ₹` 34.61 लाख धनराशि की मार्ग प्रकाश सामग्री बिना निविदा/कुटेशन किए क्रय किया जाना |

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं उत्तराखण्ड शासन, वित्त विभाग के पत्रांक-177/xxxvii(7)/2008 देहारादून दिनांक- 01 मई, 2008 के नियम-10 के अनुसार ऐसी सामग्री और मदों के लिए, जिन्हें सामान्य उपयोग की मदों के रूप में चिन्हित किया गया है और जिनकी सरकारी विभागों और एजेंसियों को बार-बार आवश्यकता होती है, उनके लिए राज्य सरकार या राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागों की पदनामित केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा 'दर संविदा' की जा सकती है | दर संविदायें समान्यतः एक समय में एक वर्ष के लिए की जा सकेंगी |

कार्यालय नगर निगम, हल्द्वानी के लेखाभिलेखों की जांच में पाया गया कि नगर निगम, हल्द्वानी की दिनांक 07.10.2015 को सम्पन्न बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या-11 के अनुसार 13वें वित्त आयोग की अवशेष धनराशि एवं 14वें वित्त आयोग(शासनादेश संख्या-923/xxviii(1)2014 दिनांक 02.11.2014) से प्राप्त धनराशि से स्वास्थ्य सामग्री एवं मार्ग प्रकाश सामग्री को पूर्व स्वीकृत दरों पर क्रय करने का निर्णय लिया गया| उक्तानुसार वर्ष 2014-15 में उक्त सामग्री को क्रय किए जाने के लिए की गई निविदा प्रक्रिया से प्राप्त न्यूनतम दरों के आधार पर एक वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी वर्ष 2015-16 में इकाई द्वारा ₹ 34.61 लाख धनराशि की सामान्य उपयोग वाली मार्ग प्रकाश सामग्री का क्रय किया गया जो शासकीय धन के उपयोग के सम्बंध में गंभीर वित्तीय अनियमितता को प्रदर्शित करता है |

लेखा परीक्षा द्वार इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि भविष्य में उक्त प्रकृति वाली सामग्रियों का क्रय प्रति वर्ष निविदा आमंत्रण के आधार पर किया जायेगा |

तथ्य प्रकाश में लाया जाता है |

भाग-4(ब) ।।

प्रस्तर 1(ब):- मार्ग प्रकाश तार/पोल व्यवस्था हेतु ₹₹` 27.47 लाख की धनराशि का बिना समझौता ज्ञापन के व्यर्थपूर्ण व्यय |

समझौता ज्ञापन की परिभाषा में यह निहित है कि कार्यदायी संस्था किसी तकनीकी/गैर तकनीकी प्रकृति के कार्य को पूर्ण कराने के लिए कार्यकारी संस्था/संस्थाओं के साथ निश्चित शर्तों/नियमों के अधीन एक अनुबंध करेगी जिसमें निर्धारित समय में निश्चित गुणवत्ताओं के साथ कार्य को पूर्ण करना एवं यथादशा में भुगतान आदि किया जाना, कार्य पूर्णता के पश्चात कार्यकारी संस्था द्वारा कार्य का यथाविनिश्चित अनुरक्षण किया जाना, उक्त से अन्यथा की दशा में कार्यकारी संस्था पर अर्थदण्ड आरोपित किया जाना आदि शामिल होगा |

कार्यालय नगर निगम, हल्द्वानी के लेखाभिलेखों की जांच में पाया गया कि नगर निगम, हल्द्वानी की दिनांक-07.10.2015 को सम्पन्न बैठक के प्रस्ताव संख्या-06 के अनुसार इकाई द्वारा दमुवाढूंगा, दमुवाढूंगा बंदोबस्ती, दमुवाढूंगा जवाहरज्योति क्षेत्रों में मार्ग प्रकाश व्यवस्था प्रदान किए जाने हेतु उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन नगरीय विद्युत वितरण खण्ड, हल्द्वानी एवं उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन ग्रामीण विद्युत वितरण खण्ड, हल्द्वानी को क्रमशः ₹ 683741/- एवं ₹ 2063188/- की धनराशि 13वें वित्त आयोग से दिया जाना स्वीकार किया गया | उक्त के अनुपालन में उपर्युक्त दोनों विद्युत वितरण खंडों ने क्रमशः पत्रांक-2073/ वि0वि0ख0(ह0)/ दिनांक- /2015 एवं पत्रांक-2702/वि0वि0ख0(ग्रा0),ह0 दिनांक-17.08.2015 द्वारा उक्त क्षेत्र में मार्ग प्रकाश हेतु क्रमशः ₹ 683741/- एवं ₹ 2063188/- की धनराशि के आगणन इकाई को प्रेषित किए | इकाई ने कार्यकारी संस्थाओं द्वारा मात्र प्रेषित आगणन के आधार पर ही क्रमशः पत्रांक-2705, दिनांक-23.02.2016(चेक संख्या-479588,दिनांक-20.02.2016) एवं पत्रांक-1580/प0प्र0द0ढू0/15, दिनांक-16.10.2015(चेक संख्या-894105,दिनांक-15.10.2015) के द्वारा बिना किसी समझौता ज्ञापन के एवं कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व क्रमशः ₹ 683741/- एवं ₹ 2063188/- की धनराशि का भुगतान उक्त कार्यकारी संस्थाओं को किया गया जो गंभीर वित्तीय अनियमतता के साथ शासकीय धन के व्यर्थपूर्ण व्यय को इंगित करता है |

लेखा परीक्षा द्वार इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि बोर्ड में प्रस्ताव पारित करके कार्य प्रारम्भ किए गए थे एवं भविष्य में समझौता ज्ञापन के आधार पर कार्य पूर्ण किए जाएंगे |

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि लेखा परीक्षा तिथि तक उक्त कार्य अपूर्ण थे, जो बिना किसी समझौता ज्ञापन के एवं कार्य आरंभ से पूर्व ही समस्त धनराशि का एकसाथ भुगतान कर देने से घटित हुआ तथा उक्त स्थिति में इकाई बिना अनुबंध के उक्त कार्यकारी संस्थाओं को न तो किसी तय समयावधि में कार्य पूर्णता के लिए बाध्य कर सकती है और न ही उन पर कोई अर्थदण्ड आरोपित कर सकती है, अतएव जो ₹ 27.47 लाख की धनराशि के व्यर्थपूर्ण व्यय को प्रदर्शित करता है |

तथ्य प्रकाश में लाया जाता है |

भाग- 4(ब) II

प्रस्तर 2:- धनराशि ₹` 13.13 लाख की सामग्री का अनावश्यक क्रय |

कार्यालय द्वारा सामान्य उपभोग वाली सामग्रियों के क्रय के लिए निम्नलिखित अपरिहार्यताओं को पूरा किया जाना चाहिए :

- औसत वार्षिक उपभोग के आधार पर ही प्रत्येक सामग्री का क्रय किया जाना चाहिए |
- सामग्री क्रय के प्रयोजनार्थ कार्यालय को आपूर्तिकर्ता के साथ अनुबंधित/स्वीकृत नियमों/शर्तों का अनुपालन करते हुये सामग्री क्रय की जानी चाहिए यथा : नगर निगम में स्वच्छता कार्य/पथ प्रकाश हेतु क्रय की जाने वाली सामग्रियों में समान्यतः एक वर्ष की गारंटी अवधि रहती है जिसे ध्यान में रखते हुये ही सामग्री क्रय की जानी चाहिए ताकि अनावश्यक क्रय करने से बचा जा सके |

नगर निगम हल्द्वानी के लेखाभिलेखों की जांच में पाया गया कि अनुलग्नक 'अ' एवं 'ब' के अनुसार इकाई द्वारा अनुलग्नकों में वर्णित सामग्रियों के प्रारम्भिक अवशेष में अंकित मदों का क्रय दिसम्बर 2005, सितम्बर 2007, सितम्बर 2012, अक्टूबर 2012, नवंबर 2013, मार्च 2015 में किया गया | उक्त तिथियों के पश्चात इन सामग्रियों का मार्च 2016 तक कोई क्रय नहीं किया गया एवं वर्ष 2015-16 में इन सामग्रियों का कोई उपभोग भी नहीं हुआ | इन सामग्रियों की गारंटी अवधि भी एक वर्ष थी जिसे पूर्ण कर ये सतत अवमूल्यित हो रहीं हैं एवं जो इकाई द्वारा धनराशि ₹ 13.13 लाख (₹ 10.87 लाख + ₹ 2.26 लाख) की सामग्री के अनावश्यक क्रय को दर्शाता है |

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि भविष्य में समुचित आकलन के आधार पर ही किसी सामग्री का क्रय किया जाएगा |

इकाई द्वारा बिना किसी औसत वार्षिक उपभोग के धनराशि ₹` 13.13 लाख की सामग्री के अनावश्यक क्रय का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदित किया जा रहा है |

अनुलग्नक 'अ'

क्रम संख्या	सामग्री का विवरण	तिथि 01.04.2015 को प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष 2015-16 के दौरान क्रय	कुल योग	वर्ष 2015-16 के दौरान उपभोग	तिथि 31.03.2016 को अंतिम अवशेष	दर (₹`/नग)	कुल मूल्य (₹` में)
1	कूड़ा हाथ ठेला	290	0	290	192	98	4271	418558
2	बेलचा	150	0	150	99	51	175	8925
3	फावड़ी	295	0	295	150	145	155	22475
4	काँटेदार पंजी (पाँच फनी वाली)	191	0	191	37	154	195	30030
5	नाली वाले हाथ के पंजे	818	0	818	636	182	78	14196
6	रेक (आठ दांतों वाली)	300	0	300	223	77	119	9163
7	फावड़ा	153	0	153	61	92	270	24840
8	सब्बल	20	0	20	8	12	558	6696
9	गेंती	54	0	54	8	46	259	11914
10	तलवार	114	0	114	45	69	140	9660
11	नाली वाले कांटे (तीन फनी वाले)	286	0	286	20	266	175	46550
12	फिनायल लिक्विड	735	0	735	455	280	50	14000
13	रबड़ ग्लव्स	212	0	212	135	77	97.61	7516
14	गम बूट	239	0	239	13	226	864.87	195460
15	हाफ जैकेट	178	0	178	20	158	495	78210
16	मास्क	424	0	424	183	241	64.7	15593
17	तसले/परात	194	0	194	40	154	120	18480
18	टोकरी	100	0	100	25	75	200	15000
19	ई0एम0 लोशन	47	0	47	0	47	590	27730
20	कूड़ा रिक्शा (चार डिब्बे वाला)	6	0	6	0	6	18636	111816
योग								1086812

अनुलग्नक 'ब'

क्रम संख्या	**सामग्री का विवरण**	**तिथि 01.04.2015 को प्रारम्भिक अवशेष**	**वर्ष 2015-16 के दौरान क्रय**	**कुल योग**	**वर्ष 2015-16 के दौरान उपभोग**	**तिथि 31.03.2016 को अंतिम अवशेष**	**दर (₹`/नग)**	**कुल मूल्य (₹` में)**
1	85 वाट सी0एफ0एल0 फिटिंग माय लैम्प	800	0	800	730	70	1270	88900
2	एम0सी0वी0 25 एम्पियर	10	0	10	0	10	145	1450
3	तार 1 एम0एम0 (कापर) सिंगल कोर	200	0	200	2	198	450	89100
4	पाइप ब्रैकेट सवा इंच जी0आई0 पाइप	291	0	291	0	291	160.49	46702.59
योग								` 226152.59

प्रस्तर 3:- सम्पत्ति कर के पुनर्निधारण न किये जाने से राजस्व की वसूली पर नकारात्मक प्रभाव।

उ.प्र. नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 172 में विनिर्दिष्ट है कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 285 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सम्पत्ति कर निगम द्वारा लगाया जायेगा, उक्त अधिनियम की धारा 173 में उल्लेख है कि उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए परिसीमाओं एवं शर्तों के अधीन रहते हुये नगर में भवनों एवं भूमियों पर सामान्य कर जो यदि ऐसा निर्धारित करे, आनुक्रमिक मद से आरोपित किया जा सकता है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों को भी विनिर्दिष्ट किया गया थाः-

(i) इस अधिनियम या इसके अधीन बनायी गयी नियमावली में स्पष्ट रुप से की अन्य व्यवस्था को छोड़कर ये कर यथास्थिति भवन या भूमि के वार्षिक मूल्य पर लगाये जायेगें।

(ii) निर्धारित रीति से गणना करने पर किसी असाधारण परिस्थिति के कारण किसी भवन का वार्षिक मूल्य अत्यधिक होता है, तो निगम वार्षिक मूल्य के रुप मे कोई ऐसी कम धनराशि को निश्चित कर सकती है, जो न्यायसंगत प्रतीत हो।

(iii) नगर आयुक्त समय-समय पर नियमावली में विहित रीति के अनुसार नगर या उसके किसी भाग की क्षेत्रवार किराया दर और निर्धारण सूची तैयार करायेगा।

(iv) अधिनियम में विहित रीति के अनुसार प्रत्येक पाँच वर्ष में एक नयी निर्धारण सूची तैयार की जायेगी जिसके तहत नियमानुसार निर्धारण सूची में परिवर्तन अथवा संशोधन कर सकती है।

इकाई की लेखा परीक्षा में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित पंजी की जाँच में देखा गया कि वर्ष 2006 के बाद से कोई पुनरीक्षण नहीं किया गया था, इससे निकाय को राजस्व की हानि हो रही थी। उक्त के सम्बंध में इकाई की विगत लेखा परीक्षा (फरवरी 2016) में भी आपत्ति की गयी थी |

इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि शासन के द्वारा निर्देशित किया गया था[1]कि इस प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है इसलिए पूर्व कर निर्धारण पर ही वसूली की जाए। वर्तमान में स्वतः कर निर्धारण के तहत नगर निगम सीमान्त स्थित भवनों के कर निर्धारण हेतु दरें तय की जा चुकी हैं तथा संबन्धित प्रपत्रों/अभिलेखों का प्रकाशन भी किया जा रहा है।

इस प्रकार नियम विरुद्ध तरीके से विगत दस वर्ष पूर्व निर्धारण के आधार पर ही सम्पत्ति कर से वसूली से निगम की वित्तीय स्थिति पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव का तथ्य प्रकाश में लाया जाता है।

---

3 **संख्या 1232/iv(2)-10-12(सा)/10 दिंनाक 19.07.2010**

भाग 4(ब)-II

प्रस्तर 4:- माँग के विरुद्ध कम वसूली किया जाना।

इकाई की लेखा परीक्षा में विभिन्न करों से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि विभिन्न करों यथा भवन कर, स्वच्छता कर, दुकान किराया एवं प्रेक्षागृह कर की वित्तीय वर्ष 2015-16 की कुल माँग ₹` 273.04 लाख के विरुद्द ` 27.80 लाख की छूट दी गयी थी, जिससे कुल शुद्ध माँग ` 245.24 लाख थी। माँग के विरुद्ध की गयी वसूली ` 202.06 लाख थी, इस प्रकार वर्ष 2015-16 के अन्त तक ` 43.18 लाख की वसूली अवशेष थी।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने एवं कम वसूली के सम्बन्ध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि वर्तमान में स्वतः कर प्रणाली जारी होने के कारण उक्त धनराशि की वसूली लम्बित हो गयी जो शीघ्र ही वसूल ली जाएगी।

माँग के विरुद्ध का तथ्य प्रकाश में लाया जाता हैं।

भाग-4(ब)-II

प्रस्तर 5:- उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्रावधानों के विपरीत अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से क्रय एवं ₹` 0.37 लाख का अधिक भुगतान किया जाना |

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के नियम 6 के अनुसार कोई भी क्रय पंजीकृत दूकानदार से ही किया जाना चाहिए और संबन्धित दूकानदार का टिन नंबर इत्यादि को चेक कर लिया जाना चाहिए जिससे संबन्धित दूकानदार के द्वारा टैक्स का भुगतान सरकार को किया जा रहा है कि नहीं सुनिश्चित हो सके |

कार्यालय की पत्रावलियों की जांच मे पाया गया कि कार्यालय मे संचालित गाड़ियों का मरम्मत कार्य सचदेवा आटो इलैक्ट्रिकल से कराया गया संबन्धित दूकानदार का टिन नंबर की जांच मे पाया गया कि उसका तीन नंबर 05001382566 को दिनांक 18/06/2011 को कैंसिल कर दिया गया है जबकि कार्यालय के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 मे संबन्धित दूकानदार से ₹` 272995 के पार्ट्स का क्रय किया गया संबन्धित पार्ट्स पर @ 13.50% के आधार पर ₹` 36854 का अधिक भुगतान कार्यालय के द्वारा किया गया|

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि भविष्य मे पंजीकृत दूकानदार से ही क्रय किया जाएगा अधिक भुगतान की गई धनराशि वापस लेने हेतु पत्राचार किया जाएगा।

अतः स्पष्ट है कि अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से ₹ ` 2.72 लाख का क्रय किया गया एवं ₹` 0.37 लाख का अधिक भुगतान किया गया था

अतः उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्रावधानों के विपरीत अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से क्रय एवं ₹` 0.37 लाख का अधिक भुगतान किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है|

भाग 4(ब)।।

प्रस्तरः-6 अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को वांछित लाभ से वंचित रखना।

उत्तराखण्ड़ शासन के वित्त (सामान्य नियम-वेतन आयोग) अनुभाग-7 द्वारा जारी शासनादेश संख्या 21/XXVII(7) अं.पे.यो./2005 दिनांक 25 अक्टूबर 2005 में विनिर्दिष्ट था कि राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भाँति पेंशन योजना की भाँति पेंशन योजना लागू है एवं उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, नये प्रवेशकों पर अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रुप से लागू होगी, जिसके अन्तर्गत वेतन, महंगाई वेतन एवं महंगाई भत्ते के दस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि की कटौती कर्मचारी के वेतन से की जाएगी तथा इसी के समतुल्य राशि का सम्बन्धित संस्था/राज्य सरकार द्वारा अंशदान दिया जायेगा। सम्बन्धित संस्थाओं को सेवायोजक के अंशदान के लिए तब तक अनुदान दिया जायेगा जब तक ये संस्थाए ऐसा करने हेतु स्वयं सक्षम न हो जाए। एक अन्य शासनादेश संख्या 346/XXVII(7)/2007 दिनांक 21.11.2007 में यह स्पष्टीकरण दिया गया था कि ऐसी संस्थाओं में जब तक भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के पेंशन फण्ड के विषय में पेंशन निधि प्रबन्धक की नियुक्ति नहीं हो जाती, जब तक उक्त धनराशि को किसी राष्ट्रीयकृ बैंक या ऐसी संस्था में, जहाँ न्यूनतम सा.भ.नि. पर देय ब्याज से कम ब्याज अनुमन्य नहीं हो, सुरक्षित निवेश किया जाय ताकि जैसे ही निधि प्रबन्धक नियुक्त हो, ब्याज सहित ऐसी धनराशि प्रत्येक कर्मचारी के विवरण सहित निधि प्रबन्धक को हस्तान्तरित कर दी जाए।

इस सम्बन्ध में इकाई के वेतन बिल पंजिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि कुल 31 नये प्रवेशकों (कर्मचारियों) के वेतन से न तो धनरासि की कटौती की गई थी एवं न ही इकाई द्वारा कोई अंशदान किया गया था।

इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि धनराशि की व्यवस्था न होने के कारण अंशदान जमा नहीं किया जा सका है तथा कर्मचारियों के नुकसान की प्रतिपूर्ति निगम द्वारा किया जायेगा।

इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि निगम के असमर्थ होने की स्थिति में राज्य सरकार से अनुदान की माँग की जानी चाहिए थी, जैसा कि शासनादेश में स्पष्ट था जबकि ऐसा निगम द्वारा नहीं किया गया था एवं प्रतिपूर्ति सम्बन्धी कोई भावी योजना लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग-4, अनुभाग (स)

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया हैं, जिसकी प्रति कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी-काटगोदाम को इस आशय से प्रेषित की गयी है कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरि. उपमहालेखाकार/ स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय